कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/पेंशन–अ/34926/पी–2/2021/ दिनांक :– 01-12-2021

परिपत्र

विषय–: **पेंशन प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण बाबत ।**

विभाग के कार्मिकों को समय पर पेंशन स्वीकृत करने के संबंध में राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 में स्पष्ट प्रावधान होने एवं इस कार्यालय से जारी दिशा–निर्देशों (दिनांक 26–02–2021, 14–07–2021 एवं 26–08–2021) के बावजूद भी लम्बित पेंशन प्रकरणों का निस्तारण समयंबद्व रूप से नहीं हो रहा है, परिणामस्वरूप पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन प्रकरणों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है, तथा सम्बन्धित कार्मिकों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान समय पर नहीं होने के कारण जहां एक ओर उन्हें आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, वहीं दूसरी ओर पेंशन प्रकरणों के विलम्ब से निस्तारण के कारण कई मामलों में ब्याज का अनावश्यक भुगतान भी करना पड़ता है ।

पेंशन स्वीकृति में विलम्ब किये जाने की स्थिति अत्यंत गंभीर है । अतः इस सम्बन्ध में समस्त कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि पेंशन नियमों में निर्धारित प्रक्रिया की पूर्ण पालना सुनिश्चित करते हुए पेंशन प्रकरणों का निस्तारण तत्परता से किया जावे ।

पेंशन प्रकरणों के समयबद्व निस्तारण में कार्यालध्यक्ष की उदासीनता पाये जाने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकती है ।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा राज.
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/मा/पेंशन.अ /34925/ 2021 दिनांकः 01-12-2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. मुख्य लेखाधिकारी प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानर
2. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा परिक्षेत्र
3. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक/प्रारम्भिक)
5. प्रधानाचार्य आईएएसई बीकानेर/अजमेर
6. समस्त मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी
7. स्टाफ आफ़िसर, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राज. बीकानेर
8. वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा को आगामी अंक में प्रकाशन हेतु
9. समस्त प्रधानाचाय/प्रधानाध्यापक राउमावि/रामावि
10. प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें
11. प्रभारी अधिकारी शाला दर्पण अधीनस्थ कार्यालयों को भिजवायें

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर